(45)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण कमांक /2018 निगरानी-3817/2018/पन्ना/भू.रा

चरपटनाथ सपेरा तनय पंचमनाथ सपेरा उम्र 70 वर्ष पेशा खेती
निवासी ग्राम डिघौरा तहसील गुनौर जिला पन्ना (म0प्र0) .....आवेदक

बनाम

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय पन्ना के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 0014/अ–74/वर्ष 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र नक्शा सुधार हेतु निरस्त किया गया है जिससे दुखित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

मान्यवर,

आवेदक का निवेदन निम्न है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 107 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि आराजी नंबर (पुराना) 250/5 का जुज रकवा 1.202 हे0 स्थित ग्राम डिघौरा की आराजी म0प्र0 शासन द्वारा उसे बंटन में प्राप्त हुई, बंटन के बाद हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर सीमा समझाई गई और उसी आधार पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शासन द्वारा उक्त आराजी में कुआं खुदवाया गया तथा डीजल पंप भी दिया गया था कुंआ आवेदक के स्वत्व व कब्जे का है तथा पुराना आराजी नंबर 250/5/2 से बंदोबस्त वर्ष 1981–82 में नये नंबर 701 रकवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग. 3817/2018/पन्ना/भू.रा.

चरपटनाथ सपेरा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण में दिनांक 24.09.2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन के तर्क सुने गये । 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि ग्राम डिघौरा स्थित भूमि कुल 12 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि हैं जिस पर आवेदक ने शासन से आर्थिक सहायता लेकर उक्त कुआं खुदवाया था, किन्तु बन्दोबस्त के दौरान उक्त कुआं नक्शा में नहीं दर्शाया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा नक्शा सुधार का आवेदन पत्र अपर कलेक्टर पन्ना के यहॉ प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया कि उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोई नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसे भूमि बंटन के बाद नक्शे में भूमि का बटांकन किया गया है, जिसमें त्रुटि है। तर्क में यह भी कहा है कि उसके द्वारा नक्शा एवं खसरा की प्रति प्रस्तुत की है, इस ओर ध्यान न देकर आवेदन को ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया था प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के तहत प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नक्शा त्रुटि	

सुधार सम्बधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अपर कलेक्टर द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा न तो आवेदक को बंटन एवं नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और न ही इस संम्बध में तहसीलदार से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कार्यवाही की । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदन को प्रारंभिक स्तर पर ही बिना विचार किये निरस्त करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 12.01.2018 निरस्त किया जाकर अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक के आवेदन पर विचार कर तहसीलदार गुनौर से प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

4/ प्रकरण अपर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में दिनांक 09.10.2018 हेतु नियत किया जाता है। आवेदक उक्त दिनांक को अपर कलेक्टर न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उपस्थित हो।

5/ आवेदक के अभिभाषक को नोट करायें एवं आदेश की प्रतिलिपि अधीनस्थ अपर कलेक्टर पन्ना को भेजा जावे। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

25/9/18

(आर.के. जैन)
सदस्य